सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग

राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक–प्रतिवेदन
वर्ष 2023–2024

वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर
दूरभाष– 2740179

Website: lfad.rajasthan.gov.in
E-mail: dir.lfad@rajasthan.gov.in

प्रशासनिक–प्रतिवेदन

वर्ष 2023–2024

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	1–2
1	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	3–4
	1.1 प्रशासनिक संगठन	3
	1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	4
2	स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	5
3	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना	6–18
	3.1 अंकेक्षण प्रक्रिया	6
	3.2 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति	7–8
	3.3 बजट	8
	3.4 आक्षेपों की स्थिति	9
	(अ) सामान्य आक्षेप (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	9
	(ब) सामान्य आक्षेप दिनांक 31.12.2023 की स्थिति	10
	(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	11
	(द) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2023 की स्थिति	12
	(य) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	13
	(र) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी दिनांक 31.12.2023 की स्थिति	14
	(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	15
	(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2023 की स्थिति	16
	(श) विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थिति	17
	(ष) अंकेक्षण शुल्क की स्थिति	18
4	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां	19
5	सार–संक्षेप	19

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य की स्थापना के पूर्व से ही स्थानीय निकायों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता रहा था। इस कार्य को 15 नवम्बर, 1953 से राजस्थान सरकार ने महालेखाकार से अपने नियंत्रण में ले लिया और इस हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की स्थापना 17 दिसम्बर, 1953 को की गई। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंकेक्षण को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 28) जारी किया गया। इस अधिनियम के तहत दिनांक 26 मई, 1956 को राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 जारी किये गये। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में अधिसूचना दिनांक 15.04.2011 के द्वारा धारा–18 जोड़ी गई है, जिसके तहत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान–जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

इस क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का प्रथम वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 22 मार्च, 2013 को राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2012–13 से वर्ष 2021–22 तक का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन निम्नानुसार राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है:–

वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष	उपस्थापित करने की दिनांक
2012–13	20.02.2014
2013–14	25.03.2015
2014–15	28.03.2016
2015–16	28.03.2017
2016–17	27.02.2018
2017–18	13.02.2019
2018–19	26.02.2020
2019–20	25.02.2021
2020–21	11.03.2022
2021–22	28.02.2023

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(10)वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 31.08.2015 के दिशा–निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया गयाः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	**आयोजित बैठकों की संख्या**
2011–12	12
2012–13	04
2013–14	02
2014–15	01
2015–16	01
2016–17	05
2017–18	04

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 से 2021–22 के संबंध में समिति की कोई बैठक 31.12.2023 तक आयोजित नहीं हुई है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के क्रम में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.10(5) वित्त/अंकेक्षण/2010 दिनांक 02.02.11 एवं दिनांक 25.04.2016 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के किये जा रहे अंकेक्षण में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को अधिकृत किया गया है। इस क्रम में विभाग द्वारा समय–समय पर महालेखाकार राजस्थान से विचार विमर्श कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रशासनिक संगठनः–

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का गठन वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 17 दिसम्बर, 1953 को किया गया था। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान है, जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी है। इनका पदस्थापन वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा किया जाता है। विभाग का प्रशासनिक स्वरूप निम्नानुसार हैः–

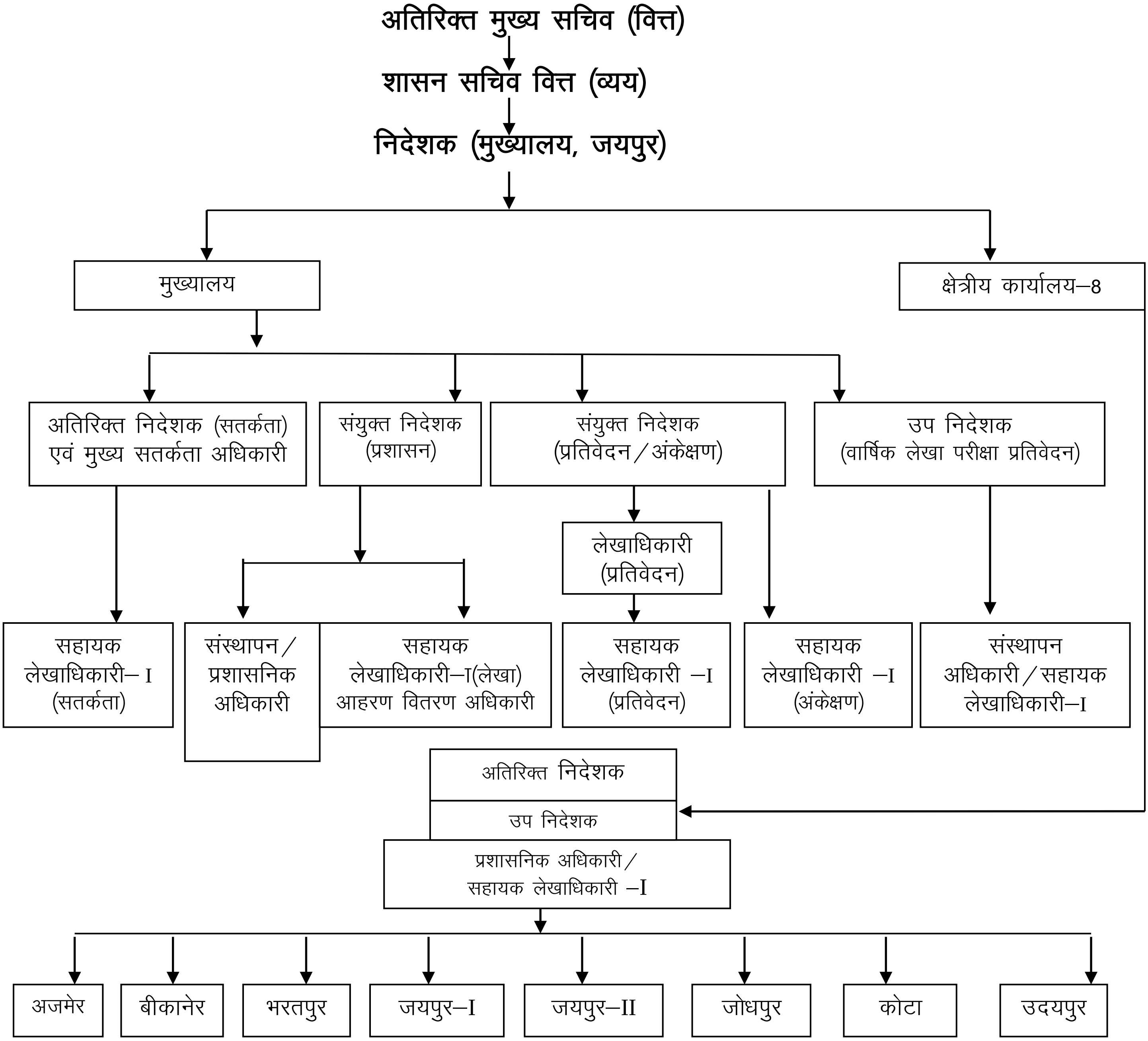

1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

निदेशालय के अधीनस्थ आठ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	कार्यालय	क्षेत्राधिकार (जिले)	अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत अंकेक्षण दल	31.12.23 को कार्यरत अंकेक्षण दल	रिक्त
1	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–प्रथम फोन नं. 0141–2740223 Email Address: lfad-jpr1-rj@nic.in	(i) जयपुर (ii) सीकर	1110	21	14	07
2	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय फोन नं. 0141–2740703 Email Address: lfad-jpr2-rj@nic.in	(i) दौसा (ii) झुंझुनूं (iii) अलवर	1302	18	13	05
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर फोन नं. 0145–2627792 Email Address: lfad-ajm-rj@nic.in	(i) अजमेर (ii) भीलवाड़ा (iii) नागौर (iV) टोंक	1585	29	07	22
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर फोन नं. 0291–2650364 Email Address: lfad-jod-rj@nic.in	(i) जोधपुर (ii) पाली (iii) जैसलमेर (iV) बाड़मेर (V) सिरोही (Vi) जालौर	2509	26	15	11
5	क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर फोन नं. 0151–2542354 Email Address: lfad-bik-rj@nic.in	(i) बीकानेर (ii) चुरू (iii) श्रीगंगानगर (iV) हनुमानगढ़	1413	23	11	12
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा फोन नं. 0744–2322210 Email Address: lfad-kot-rj@nic.in	(i) कोटा (ii) बारां (iii) बूंदी (iV) झालावाड़	923	16	06	10
7	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर फोन नं. 0294–2494230 Email Address: lfad-uda-rj@nic.in	(i) उदयपुर (ii) चित्तौड़गढ (iii) राजसमन्द (iV) डूँगरपुर (V) बाँसवाड़ा (Vi) प्रतापगढ़	2310	26	15	11
8	क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर फोन नं. 05644–224075 Email Address: lfad-bha-rj@nic.in	(i) भरतपुर (ii) धौलपुर (iii) सवाईमाधोपुर (iv) करौली	1143	17	11	06
9	मुख्यालय		0	2	00	02
	योग		**12295**	**178**	**92**	**86**

2. स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पद

(31.12.2023 की स्थिति)

(1) राजपत्रित अधिकारी				
क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	दिनांक 31.12.23 को रिक्त पदों की संख्या
1	निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा–हायर सुपर टाइम स्केल)	1	1	0
2	अतिरिक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा सुपर टाइम स्केल)	9	9	0
3	संयुक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा– चयनित वेतनमान)	2	2	0
4	उपनिदेशक (राजस्थान लेखा सेवा–वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)	9	6	3
5	उपनिदेशक (एसीपी)	1	0	1
6	लेखाधिकारी (i) अंकेक्षण दल 41 (ii) कार्यालय 1	42	18	24
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (i) अंकेक्षण दल 137 (ii) कार्यालय 12	149	87	62
8	निजी सचिव	1	1	0
9	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1
10	संस्थापन अधिकारी	2	1	1
11	प्रशासनिक अधिकारी	7	5	2
12	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	21	18	3
(2) अराजपत्रित कर्मचारीगण				
13	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	7	4	3
14	कनिष्ठ लेखाकार (i) अंकेक्षण दल 183 (ii) कार्यालय 53	236	145	91
15	निजी सहायक– प्रथम	6	1	5
16	निजी सहायक– द्वितीय	8	6	2
17	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	45	45	0
18	वरिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड–I)	66	64	2
19	कनिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड–II)	125	40	85
20	प्रोग्रामर	1	0	1
21	सहायक प्रोग्रामर	5	3	2
22	सूचना सहायक	11	4	7
23	वाहन चालक	1	0	1
24	जमादार	1	1	0
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	56	19	37
	योग	**814**	**481**	**333**

3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना

3.1 अंकेक्षण प्रक्रिया

- विभाग का मुख्य कार्य पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, कृषि उपज मंडी समितियों, देवस्थान विभाग, विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण करना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की हुई है।
- राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किसी अन्य संस्था की विशेष जाँच भी करायी जा सकती है।
- विभाग का अंकेक्षण वर्ष 1 जून से प्रारम्भ हो कर 31 मई को समाप्त होता है। अंकेक्षण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही अंकेक्षणाधीन संस्थाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः 15 मई से पूर्व संस्थावार/अंकेक्षण दलवार अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित संस्था को भी भेजी जाती है।
- अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 एवं इसके अन्तर्गत जारी स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के अनुसार अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण दलों के निर्देशन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर अंकेक्षण निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
- अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अंकेक्षण दल द्वारा संस्था को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश देने तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 7 में अभियोग प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। अभियोग प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी से विभाग द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- संस्थाओं के अंकेक्षण समाप्ति के 1 माह में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने की व्यवस्था है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा–10 एवं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम–28 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के तीन माह में प्राप्त होना अपेक्षित है।
- प्रतिवेदनों में दर्शाई गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत सरचार्ज/चार्ज/अन्य राशि वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है ताकि संस्थाओं को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एवं अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय – समय पर अंकेक्षण दलों का उनके कार्यरत रहने के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।
- अंकेक्षण दलों के विरूद्ध शिकायतों आदि के संबंध में निदेशालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं अंकेक्षण दलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

3.2 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति

विभाग के अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है एवं राज्य सरकार के विशिष्ठ निर्देशानुसार विशेष अंकेक्षण भी किया जाता है। इस विभाग का अंकेक्षण सत्र जून माह से प्रारंभ होकर आगामी मई माह के अंतिम कार्य दिवस तक माना जाता है।

अंकेक्षण कार्य की प्रगतिः– विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य की प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2022–23 में 12308 संस्थाओं का चालू वर्ष का व 27029 बकाया वर्षों का अंकेक्षण लम्बित था जिसके विरूद्व 7387 (60.02 प्रतिशत) चालू वर्षों तथा 8510 (31.48 प्रतिशत) बकाया वर्षों का अंकेक्षण सम्पन्न किया गया है।

अंकेक्षण वर्ष	किया गया अंकेक्षण			
	संस्थाऐं	चालू वर्ष	बकाया वर्ष	कुल वर्ष
2020–21 लक्ष्य	10797	10797	30639	41436
2020–21 लक्ष्य प्राप्ति		4765	5988	10753
2021–22 लक्ष्य	12308	12308	30683	42991
2021–22 लक्ष्य प्राप्ति		7645	8317	15962
2022–23 का लक्ष्य	12308	12308	27029	39337
2022–23 लक्ष्य प्राप्ति		7387	8510	15897
2023–24 का लक्ष्य	12295	12295	23440	35735
2023–24 लक्ष्य प्राप्ति (दिनांक 31.12.2023 तक)		4752	4209	8961
संस्थाओं का लेखा प्रमाणीकरण शहरी स्थानीय निकाय		95		

विभाग को वर्ष 2023–24 के दौरान 12295 संस्थाओं का चालू वर्ष का अंकेक्षण करने हेतु 32693 कार्य दिवसों की आवश्यकता थी। वर्ष के आरम्भ में अंकेक्षण हेतु उपलब्ध अनुमानित 20475 कार्य दिवस (225 कार्य दिवस प्रतिवर्ष के आधार पर) उपलब्ध थे। बकाया अंकेक्षण वर्षों सहित 35735 वर्षों के अंकेक्षण हेतु 159 अंकेक्षण दलों की आवश्यकता रही है।

राज्य सरकार द्वारा निर्देशित विशेष जांचों में जांच दलों के नियुक्त होने एवं अंकेक्षण वर्ष 2023–24 के प्रथम माह जून, 2023 की अवधि में वित्त विभाग के परिपत्र प.17(1)वित्त/अंकेक्षण/2013 पार्ट–II दिनांक 16.05.2016 के निर्देशों के क्रम में केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में निष्पादन अनुदान हेतु शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2021–22 एवं इससे पूर्व के बकाया वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण कार्य किये जाने एवं विधानसभा आम चुनाव–2023 में अंकेक्षकों को चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किये जाने के कारण नियमित अंकेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के वर्ष 2021–22 का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य अंकेक्षण के साथ ही अधिकांश पूर्ण कर लिया गया है।

वर्ष 2022—23 में कार्यरत जांचदलों की संख्या 91 थी जबकि वर्ष 2023—24 के प्रारम्भ में भी 91 जांचदल ही कार्यरत थे। अंकेक्षण वर्ष 2023—24 के दौरान अतिरिक्त अस्थाई जांचदलों का गठन किये जाने के फलस्वरूप 31.12.2023 को कार्यरत जांचदलों की संख्या 92 दर्शायी गई है।

अतः वर्ष 2023—24 में विशेष जांच किये जाने, लेखा प्रमाणीकरण किये जाने, चुनाव ड्यूटी एवं कार्यरत जांचदलों की कमी के कारण अंकेक्षण कार्य प्रभावित रहा है। शेष अंकेक्षण के 05 माह में 92 जांचदलों द्वारा अधिक से अधिक अंकेक्षण लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

3.3 बजट

इस विभाग की प्राप्तियों का एक मात्र स्त्रोत अंकेक्षण शुल्क है। अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के अंकेक्षण सम्पादित करने के पश्चात् वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 26.03.2018 द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की संबंधित संस्थाओं से मांग की जाती है।

विभाग का व्यय बजट मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन—भत्ते, यात्रा भत्ता, एवं कार्यालय व्यय इत्यादि से सम्बन्धित होता है।

निदेशालय के वर्ष 2020—21 से 2021—22 एवं 2022—23 के बजट एवं वर्ष 2023—24 में दिनांक 31.12.2023 तक की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :—

बजट मद

प्राप्तियां

0070—अन्य प्रशासनिक सेवाऐं
60—अन्य सेवाऐं
110—सरकारी लेखा परीक्षण शुल्क

व्यय

माँग संख्या 25

2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
098—स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
(01)—निदेशक स्थानीय निधि लेखा

(राशि लाखों में)

क्र. स.	वित्तीय वर्ष (गत तीन वर्षों की स्थिति)	प्राप्तियां		व्यय	
		बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2020—21	800.00	1006.59	4240.97	4200.50
2	2021—22	1000.00	1188.41	4726.38	4343.44
3	2022—23	1000.00	1478.06	4966.73	4803.54
गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति					
4	2022—2023	1000.00	916.58 (दि0 31.12.22 तक)	4966.73	3923.94 (दि0 31.12.22 तक)
5	2023—2024	1300.00	650.31 (दि0 31.12.23 तक)	5463.71	3996.07 (दि0 31.12.23 तक)

- दिसम्बर 2023 तक लक्ष्य (1300 लाख) के विरूद्ध कुल राशि रूपये 650.31 लाख वसूल किया गया है। (जिसमें पिछले बकाया में से 253.88 लाख अंकेक्षण शुल्क की राशि शामिल है) जो लक्ष्य का 50.02 प्रतिशत है।

3.4 आक्षेपों की स्थिति–

अंकेक्षण दलों द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं पर आक्षेपों का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। आक्षेपों में गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं एवं गबन संबंधी आक्षेपों का समावेश भी होता है। ऐसे आक्षेपों पर पृथक से विभागाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा जाता है। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर विभाग द्वारा प्रारूप प्रालेखों 'अ' व 'ब' श्रेणी का गठन किया जाता है। विभाग द्वारा तय किए मापदण्डों (परिशिष्ठ''अ'') के अनुसार 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन निदेशालय द्वारा तथा 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार निम्न प्रकार के आक्षेपों का गठन किया जाता हैः–

1. सामान्य आक्षेप
2. गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख ''अ'' श्रेणी
3. अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी
4. गबन सम्बन्धी आक्षेप

(अ) सामान्य आक्षेपों की विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.07.20 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23		
			1.08.20 से 30.06.21 तक गठित आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक निरस्त आक्षेप	30.06.21 को अवशेष आक्षेप	1.07.21 से 31.05.22 तक गठित आक्षेप	1.07.21 से 31.05.22 तक निरस्त आक्षेप	31.5.22 को अवशेष आक्षेप	1.06.22 से 31.05.23 तक गठित आक्षेप	1.06.22 से 31.05.23 तक निरस्त आक्षेप	31.5.23 को अवशेष आक्षेप
1.	**पंचायतीराज विभाग**										
	(i) जिला परिषदें	2991	421	183	3229	514	279	3464	977	407	4034
	(ii) पंचायत समितियां	67625	8086	2111	73600	12058	3194	82464	10407	5310	87561
	(iii) ग्राम पंचायतें	2929873	170225	70810	3029288	219161	20469	3227980	190655	195864	3222771
	कुल योग	**3000489**	**178732**	**73104**	**3106117**	**231733**	**23942**	**3313908**	**202039**	**201581**	**3314366**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(i) नगर निगम	5263	198	43	5418	36	63	5391	170	1043	4518
	(ii) नगर परिषद	14047	877	277	14647	400	349	14698	1517	532	15683
	(iii) नगर पालिका	48034	2547	1334	49247	2311	897	50661	2719	2776	50604
	कुल योग	**67344**	**3622**	**1654**	**69312**	**2747**	**1309**	**70750**	**4406**	**4351**	**70805**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	953	86	4	1035	0	4	1031	0	1	1030
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	386	130	8	508	0	20	488	92	4	576
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण	949	0	1	948	0	8	940	0	5	935
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	4276	620	361	4535	333	444	4424	537	316	4645
	(v) नगर सुधार न्यास	2592	245	84	2753	208	159	2802	134	89	2847
	कुल योग	**9156**	**1081**	**458**	**9779**	**541**	**635**	**9685**	**763**	**415**	**10033**
4.	**कृषि विभाग**										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	648	235	96	787	172	140	819	204	192	831
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	7071	1527	615	7983	802	811	7974	1506	1453	8027
	कुल योग	**7719**	**1762**	**711**	**8770**	**974**	**951**	**8793**	**1710**	**1645**	**8858**
5.	**अन्य संस्थायें**	11365	876	635	11606	473	457	11622	930	767	11785
	कुल योग	**11365**	**876**	**635**	**11606**	**473**	**457**	**11622**	**930**	**767**	**11785**
	महायोग	**3096073**	**186073**	**76562**	**3205584**	**236468**	**27294**	**3414758**	**209848**	**208759**	**3415847**

विभाग का आडिट सत्र जून माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने के कारण आक्षेप संबंधी सूचनायें 1/6 से 31/5 तक की अवधि की संकलित की जाती है।

(ब) दिनांक 31.12.2023 को बकाया सामान्य आक्षेपों की स्थिति–

क्र.सं.	विभाग का नाम	31.12.22 को अवशेष आक्षेप	1.1.23 से 31.05.23 तक की स्थिति		31.05.23 को अवशेष आक्षेप	1.06.23 से 31.12.23 की स्थिति		31.12.23 को अवशेष आक्षेप
			गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप		गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप	
1.	पंचायती राज विभाग							
	(i) जिला परिषदें	3549	585	100	4034	268	246	4056
	(ii) पंचायत समितियां	84946	3633	1018	87561	4953	1829	90685
	(iii) ग्राम पंचायतें	3193636	64181	35046	3222771	95004	33511	3284264
	कुल योग	**3282131**	**68399**	**36164**	**3314366**	**100225**	**35586**	**3379005**
2.	स्थानीय निकाय विभाग							
	(i) नगर निगम	4431	91	4	4518	189	20	4687
	(ii) नगर परिषद	14766	1083	166	15683	276	116	15843
	(iii) नगर पालिका	50595	1063	1054	50604	1028	657	50975
	कुल योग	**69792**	**2237**	**1224**	**70805**	**1493**	**793**	**71505**
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग							
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	1030	0	0	1030	110	1	1139
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	486	92	2	576	0	4	572
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण	935	0	0	935	0	19	916
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	4475	247	77	4645	326	247	4724
	(v) नगर सुधार न्यास	2758	108	19	2847	86	42	2891
	कुल योग	**9684**	**447**	**98**	**10033**	**522**	**313**	**10242**
4.	कृषि विभाग							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	776	80	25	831	46	67	810
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	7844	432	249	8027	522	483	8066
	कुल योग	8620	512	274	8858	568	550	8876
5.	अन्य संस्थायें	11227	646	88	11785	247	383	11649
	कुल योग	**11227**	**646**	**88**	**11785**	**247**	**383**	**11649**
	महायोग	**3381454**	**72241**	**37848**	**3415847**	**103055**	**37625**	**3481277**

(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

''अ'' श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.05.20 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23		
			01.06.20 से 31.05.21 तक गठित आक्षेप	01.06.20 से 31.05.21 तक निरस्त आक्षेप	31.05.21 को अवशेष आक्षेप	01.06.21 से 31.05.22 तक गठित आक्षेप	01.06.21 से 31.05.22 तक निरस्त आक्षेप	31.05.22 को अवशेष आक्षेप	01.06.22 से 31.05.23 तक गठित आक्षेप	01.06.22 से 31.05.23 तक निरस्त आक्षेप	31.05.23 को अवशेष आक्षेप
1	**पंचायती राज विभाग**										
	(1) जिला परिषदें	12	0	1	11	0	4	7	0	2	5
	(2) पंचायत समितियां	497	4	7	494	2	50	446	2	15	433
	योग (1)	**509**	**4**	**8**	**505**	**2**	**54**	**453**	**2**	**17**	**438**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(1) नगर निगम	210	2	25	187	31	32	186	2	18	170
	(2) नगर परिषदे	271	27	27	271	21	58	234	4	27	211
	(3) नगर पालिकाऐं	542	12	65	489	57	126	420	5	63	362
	योग (2)	**1023**	**41**	**117**	**947**	**109**	**216**	**840**	**11**	**108**	**743**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	41	2	18	25	12	5	32	0	10	22
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	28	0	0	28	0	0	28	0	2	26
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	60	0	24	36	0	4	32	0	0	32
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	56	0	0	56	0	11	45	0	4	41
	(5) नगर सुधार न्यास	60	10	1	69	3	27	45	1	4	42
	योग (3)	**245**	**12**	**43**	**214**	**15**	**47**	**182**	**1**	**20**	**163**
4	**कृषि विभाग**										
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	5	0	1	4	1	0	5	0	1	4
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	32	0	3	29	0	2	27	1	2	26
	योग (4)	**37**	**0**	**4**	**33**	**1**	**2**	**32**	**1**	**3**	**30**
5	**अन्य संस्थाऐं**	25	0	4	21	3	5	19	0	4	15
	योग (5)	**25**	**0**	**4**	**21**	**3**	**5**	**19**	**0**	**4**	**15**
	महायोग	**1839**	**57**	**176**	**1720**	**130**	**324**	**1526**	**15**	**152**	**1389**

नोटः–1 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक निरस्त 152 आक्षेपों में से 04 आक्षेप निरस्त (जिला परिषद–1, पंचायत समिति–1, जयपुर विकास प्राधिकरण–2) पंचायत समिति का 01 आक्षेप सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हुआ है एवं 24 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित (पंचायत समिति–8, नगर पालिका–4, जिला परिषद–1, जोधपुर विकास प्राधिकरण–2, राजस्थान आवासन मण्डल–4, कृ0उ0म0स0–2, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण–2, तथा पेंशनर्स–1) हुए हैं। 123 आक्षेप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल (पंचायत समिति–5, नगर निगम–18, नगर परिषद–27, नगर पालिका–59, जयपुर विकास प्राधिकरण–8, नगर सुधार न्यास–4, कृषि विपणन बोर्ड–1, एवं देवस्थान–1)

(द) प्रारूप प्रालेख_'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2023 की स्थिति :—

क्र.सं.	विभाग का नाम	31.12.22 को अवशेष आक्षेप	01.01.23 से 31.05.23 तक नवगठित आक्षेप	01.01.23 से 31.05.23 तक निरस्त आक्षेप/सामान्य/'ब' श्रेणी परिवर्तन	31.05.23 को अवशेष आक्षेप	01.06.23 से 31.12.23 तक नवगठित आक्षेप	01.06.23 से 31.12.23 तक निरस्त आक्षेप/ ले.प्र. प्रतिवेदन में शामिल/'ब' श्रेणी में परिवर्तित	31.12.23 को अवशेष आक्षेप
1	**पंचायती राज विभाग**							
	(1) जिला परिषदे	5	0	0	5	0	0	5
	(2) पंचायत समितियां	434	1	2	433	7	0	440
	योग (1)	**439**	**1**	**2**	**438**	**7**	**0**	**445**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(1) नगर निगम	168	2	0	170	2	36	136
	(2) नगर परिषदे	208	3	0	211	18	1	228
	(3) नगर पालिकाऐं	358	4	0	362	13	5	370
	योग (2)	**734**	**9**	**0**	**743**	**33**	**42**	**734**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	22	0	0	22	0	0	22
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	26	0	0	26	0	0	26
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	32	0	0	32	0	1	31
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	41	0	0	41	1	5	37
	(5) नगर सुधार न्यास	41	1	0	42	5	2	45
	योग (3)	**162**	**1**	**0**	**163**	**6**	**8**	**161**
4	**कृषि विभाग**							
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	4	0	0	4	0	0	4
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	25	1	0	26	0	0	26
	योग (4)	**29**	**1**	**0**	**30**	**0**	**0**	**30**
5	**अन्य संस्थाऐं**	15	0	0	15	1	0	16
	योग (5)	**15**	**0**	**0**	**15**	**1**	**0**	**16**
	महायोग	**1379**	**12**	**2**	**1389**	**47**	**50**	**1386**

1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023

नोट—1:— 1 जनवरी 2023 से 31 मई 2023 तक 2 आक्षेपों में से 1 आक्षेप पंचायत समिति का निरस्त व 1 आक्षेप सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हुआ है।

नोट—2:— 1 जून 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक निरस्त 50 आक्षेपो में से राजस्थान आवासन मण्डल के 3, नगर पालिका के 3 आक्षेप निरस्त, राजस्थान आवासन मण्डल के 2 आक्षेप 'ब' में परिवर्तित हुए है, नगर निगम के 35, नगर परिषद के 1, नगर पालिका के 4, नगर विकास न्यास के 2 आक्षेप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल हुए हैं।

(य) प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

''ब'' श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.07.20 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23		
			1.08.20 से 30.06.21 तक गठित आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक निरस्त आक्षेप	30.06.21 को अवशेष आक्षेप	1.07.21 से 31.05.22 तक गठित आक्षेप	1.07.21 से 31.05.22 तक निरस्त आक्षेप	31.05.22 को अवशेष आक्षेप	1.06.22 से 31.05.23 तक गठित आक्षेप	1.06.22 से 31.05.23 तक निरस्त आक्षेप	31.5.23 को अवशेष आक्षेप
1.	पंचायतीराज विभाग										
	(i) जिला परिषदें	198	8	5	201	16	17	200	24	7	217
	(ii) पंचायत समितियां	3358	411	28	3741	580	50	4271	240	55	4456
	कुल योग	3556	**419**	**33**	**3942**	**596**	**67**	**4471**	**264**	**62**	**4673**
2.	स्थानीय निकाय विभाग										
	(i) नगर निगम	241	5	4	242	60	1	301	1	1	301
	(ii) नगर परिषद	658	2	6	654	106	3	757	22	9	770
	(iii) नगर पालिका	1543	83	16	1610	152	116	1646	110	32	1724
	कुल योग	2442	**90**	**26**	**2506**	**318**	**120**	**2704**	**133**	**42**	**2795**
3.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग										
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	67	0	0	67	5	0	72	0	0	72
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	61	0	0	61	0	0	61	2	0	63
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण*	0	58	0	58	29	10	77	0	6	71
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	149	5	0	154	28	25	157	4	4	157
	(v) नगर सुधार न्यास	208	2	56	154	66	8	212	22	8	226
	कुल योग	**485**	**65**	**56**	**494**	**128**	**43**	**579**	**28**	**18**	**589**
4.	कृषि विभाग										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	42	11	0	53	7	0	60	1	0	61
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	221	21	10	232	44	14	262	18	14	266
	कुल योग	**263**	**32**	**10**	**285**	**51**	**14**	**322**	**19**	**14**	**327**
5.	अन्य संस्थायें	80	0	3	77	42	15	104	11	5	110
	कुल योग	**80**	**0**	**3**	**77**	**42**	**15**	**104**	**11**	**5**	**110**
	महायोग	**6826**	**606**	**128**	**7304**	**1135**	**259**	**8180**	**455**	**141**	**8494**

***वर्ष 2020–21 में नगर सुधार न्यास, अजमेर के 56+1=57 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख अजमेर विकास प्राधिकरण में दर्शाये गये है।**

(र) प्रारूप प्रालेख''ब'' श्रेणी दिनांक 31.12.2023 की स्थितिः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.12.22 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.1.23 से 31.05.23 तक की स्थिति		31.05.23 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.06.23 से 31.12.23 की स्थिति		31.12.23 को अवशेष प्रारूप प्रालेख
			गठित प्रारूप प्रालेख	निस्तारित प्रारूप प्रालेख		गठित प्रारूप प्रालेख	निस्तारित प्रारूप प्रालेख	
1.	**पंचायती राज विभाग**							
	(i) जिला परिषदें	203	14	0	217	26	0	243
	(ii) पंचायत समितियां	4349	114	7	4456	274	5	4725
	कुल योग	**4552**	**128**	**7**	**4673**	**300**	**5**	**4968**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(i) नगर निगम	302	0	1	301	32	1	332
	(ii) नगर परिषद	755	17	2	770	26	1	795
	(iii) नगर पालिका	1716	18	10	1724	54	2	1776
	कुल योग	**2773**	**35**	**13**	**2795**	**112**	**4**	**2903**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(i) जयपुर विकास प्राधिकरण	72	0	0	72	0	0	72
	(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण	63	0	0	63	0	0	63
	(iii) अजमेर विकास प्राधिकरण	71	0	0	71	0	0	71
	(iv) राजस्थान आवासन मण्डल	153	8	4	157	10	0	167
	(v) नगर सुधार न्यास	232	0	6	226	19	0	245
	कुल योग	**591**	**8**	**10**	**589**	**29**	**0**	**618**
4.	**कृषि विभाग**							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	61	0	0	61	2	0	63
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	263	4	1	266	18	2	282
	कुल योग	**324**	**4**	**1**	**327**	**20**	**2**	**345**
5.	**अन्य संस्थायें**	106	5	1	110	9	3	116
	कुल योग	**106**	**5**	**1**	**110**	**9**	**3**	**116**
	महायोग	**8346**	**180**	**32**	**8494**	**470**	**14**	**8950**

(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

बैंक से राशि आहरित कर रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज नहीं करना, राजस्व प्राप्तियों का रोकड़ पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं करना, बिना वाऊचर के व्यय पक्ष में इन्द्राज कर राशि का अपहरण, रोकड़ पुस्तिका वाऊचर आदि में अंकगणितीय, योगात्मक एवं शेष को आगे कम दर्ज कर राशि का अपहरण करना, भण्डार के सामान कम दर्शाये जाने को गबन की श्रेणी में माना जाता है।

अंकेक्षण के दौरान ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर संस्था को निर्धारित प्रपत्र(एल.ए.ड़ी.–4) अंकेक्षण दल द्वारा जारी किया जाता है। अंकेक्षण समाप्ति तक अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर गबन प्रकरण का एल.ए.ड़ी.–44 जारी कर संस्था प्रधान, नियंत्रण अधिकारी एवं निदेशालय के ध्यान में लाया जाता है। राशि 50,000/– रूपये तक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा रू. 50,000/– से अधिक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर से की जाती है। विभाग में लम्बित गबन प्रकरणों के विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	संस्था वर्ग	अंकेक्षण वर्ष 2020–21 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2021–22 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2022–23 की स्थिति	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**पंचायती राज विभाग**						
	1. जिला परिषदें	3	1.89	3	1.89	2	1.88
	2. पंचायत समितियां	368	494.19	374	506.84	371	516.60
	3. ग्राम पंचायते	6728	1746.99	6688	1799.75	6636	2365.46
	योग (1)	**7099**	**2243.07**	**7065**	**2308.48**	**7009**	**2883.94**
2	1.राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	54	813.78	54	813.78	54	813.78
	योग(2)	**54**	**813.78**	**54**	**813.78**	**54**	**813.78**
3	**स्थानीय निकाय विभाग**						
	1. नगर निगम	45	98.07	45	97.45	42	97.19
	2. नगर परिषदें	18	8.62	23	656.02	18	655.91
	3. नगर पालिकाऐं	172	188.27	201	192.55	201	191.32
	योग (3)	**235**	**294.96**	**269**	**946.02**	**261**	**944.42**
4	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**						
	1. विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0
	2. नगर सुधार न्यास	1	35.89	1	35.89	1	35.89
	3. आवासन मण्ड़ल	6	53.53	6	53.53	6	53.53
	योग (4)	**7**	**89.42**	**7**	**89.42**	**7**	**89.42**
5	**कृषि विभाग**						
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0	0	0	0	0
	2. कृ.उ.मण्ड़ी समिति	10	3.30	9	3.27	7	11.68
	योग (5)	**10**	**3.30**	**9**	**3.27**	**7**	**11.68**
6	**अन्य संस्थाएँ**	49	70.28	54	73.53	48	73.47
	योग (6)	**49**	**70.28**	**54**	**73.53**	**48**	**73.47**
	महायोग	**7454**	**3514.81**	**7458**	**4234.50**	**7386**	**4816.71**
			***+10 ग्राम सोना**		***+10 ग्राम सोना**		***+10 ग्राम सोना**

*** राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1963–64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।**

(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2023 की स्थिति

दिनांक 31.12.23 तक स्वायत्तशाषी संस्थाओं के लेखों के अंकेक्षण के दौरान गठित, लम्बित गबन प्रकरण एवं उनके निस्तारण की स्थितिः–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	संस्था वर्ग	31.12.22 को बकाया गबन प्रकरण		1.1.23 से 31.12.23 तक गठित गबन प्रकरण		1.1.23 से 31.12.23 तक निस्तारित गबन प्रकरण		31.12.23 को बकाया गबन प्रकरण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**पंचायती राज विभाग**								
	1. जिला परिषदें	2	1.88	0	0	0	0	2	1.88
	2. पंचायत समितियां	371	516.60	6	31.72	2	0.59	375	547.73
	3. ग्राम पंचायतें	6636	2365.46	43	130.97	125	19.38	6554	2477.05
	योग (1)	**7009**	**2883.94**	**49**	**162.69**	**127**	**19.97**	**6931**	**3026.66**
2	1. राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	**54**	**813.78**	0	0	0	0	**54**	**813.78**
	योग(2)	**54**	**813.78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**813.78**
3	**स्थानीय निकाय विभाग**								
	1. नगर निगम	42	97.19	1	10.98	1	1.36	42	106.81
	2. नगर परिषदें	18	655.91	3	4.72	0	0	21	660.63
	3. नगर पालिकाऐं	201	191.32	8	6.78	6	7.10	203	191.00
	योग (3)	**261**	**944.42**	**12**	**22.48**	**7**	**8.46**	**266**	**958.44**
4	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**								
	1. जयपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.जोधपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. नगर सुधार न्यास	1	35.89	0	0	0	0	1	35.89
	4. आवासन मण्ड़ल	6	53.53	0	0	0	0	6	53.53
	योग (4)	**7**	**89.42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**89.42**
5	**कृषि विभाग**								
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. कृ.उ.मण्ड़ी समिति	7	11.68	0	0	0	0	7	11.68
	योग (5)	**7**	**11.68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**11.68**
6	**अन्य संस्थाएँ**	48	73.47	1	0.14	1	0*	48	73.61*
	योग (6)	**48**	**73.47**	**1**	**0.14**	**1**	**0**	**48**	**73.61**
	महायोग	**7386**	**4816.71** +10 ग्राम सोना	**62**	**185.31**	**135**	**28.43**	**7313**	**4973.59**** +10ग्राम सोना

★ राशि रूपयें 500/– से कम होने के कारण 0.00 दर्शाई गई है।

★★राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1963–64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।

(श) विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थितिः–

विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के नियमित अंकेक्षण के अलावा राज्य सरकार स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत किसी भी संस्था को अधिसूचित कर इस विभाग को उस संस्था का विशेष अंकेक्षण करने का निर्देश प्रदान कर सकती है। इसके अन्तर्गत वित्त विभाग तथा संस्थाओं/संस्थाओं के नियंत्रण अधिकारियों के अनुरोध पर पूर्व वर्षों की बकाया 06 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में (दिनांक 31.12.2023) तक 02 संस्था की विशेष जांच हेतु निर्देशित किया गया, जिनमें से 02 विशेष जांच प्रकरण पूर्ण किये जाकर जांच प्रतिवेदन जारी किये जा चुके है, शेष 6 विशेष जांच प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

1 विशेष जांच प्रकरण

"अ" श्रेणी के विशेष जांच प्रकरणों की मॉनीटरिंग निदेशालय स्तर पर की जाती है। विभाग में लम्बित विशेष जांच प्रकरणों के विगत 3 वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम संस्थायें	वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2021–22 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2022–23 की स्थिति		
		प्रतिवेदनों की संख्या	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**
1	पंचायतीराज विभाग	61	1564	1174	65	1612	1220	69	1762	1363
2	स्थानीय निकाय विभाग	30	488	408	30	488	408	30	488	407
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं आवासन मण्डल	11	216	140	11	216	140	11	216	139
4	कृषि विभाग	01	15	11	01	15	11	02	19	15
5	आरपीएमएफ	08	304	151	08	304	144	08	304	140
6	अन्य संस्थायें	54	1665	1294	54	1665	1286	57	1713	1322
	योग	**165**	**4252**	**3178**	**169**	**4300**	**3209**	**177**	**4502**	**3386**

2 31.12.2023 को विशेष जांच प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की स्थिति

क्र.सं	**नाम संस्था**	**'अ' श्रेणी**			**'ब' श्रेणी**		
		प्रतिवेदनों की संख्या	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**
1	पंचायती राज संस्थाऐं	70	1777	1365	307	6637	4779
2	शहरी स्थानीय निकाय	30	488	406	141	2999	1645
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवासन मण्डल	11	216	136	14	304	148
4	कृषि विभाग की संस्थाएं	02	19	15	16	108	91
5	आरपीएमएफ	08	304	140	04	52	52
6	अन्य संस्थायें	58	1726	1314	14	356	312
	योग	**179**	**4530**	**3376**	**496**	**10456**	**7027**

(ष) अंकेक्षण–शुल्क की स्थिति

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प. 10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 26.03.2018 (दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी)से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु अंकेक्षण शुल्क का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है।

क्र.सं.	**संस्था का नाम**	**अंकेक्षण शुल्क की दरें**
1	जिला परिषद	रू. 13,000/–प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समिति	रू. 32,000/–प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
4	अन्य संस्थाऐं	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति संस्था

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 25.04.2018 से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु निर्धारित अंकेक्षण शुल्क वसूली की दरों का लेखा प्रमाणीकरण व अंकेक्षण कार्य हेतु विभाजन करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

क्र. सं.	**संस्था का नाम**	**अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण एक साथ होने की स्थिति में समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की दर (राशि रूपये में)**	**अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण अलग होने की स्थिति में**	
			प्रमाणीकरण कार्य हेतु आनुपातिक अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)	**अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)**
1	2	3	4	5 (3–4)
1	पंचायत समितियाँ	रू. 32,000/– प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति	रू. 2700/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष	रू. 29300/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष
2	ग्राम पंचायत	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 700/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 3300/– प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
3	नगर पालिका/ परिषदें/निगम	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	कुल स्वीकृत कार्य दिवसों में से प्रमाणीकरण कार्य हेतु उपयोग किये गये कार्य दिवसों को घटाकर शेष कार्य दिवसों के लिए रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था

अंकेक्षण शुल्क की नवीन दरें दिनांक 01.06.2018 से लागू की गई है। अतः प्रमाणीकरण तथा शेष अंकेक्षण शुल्क की विभाजित दरें भी दिनांक 01.06.2018 से लागू होंगी।

नोट :– 1. लेखों के प्रमाणीकरण तथा अंकेक्षण कार्य के लिए प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष रू. 4000/– ही वसूल किये जाएं।

2. अन्य संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क की दरें समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार ही रहेगी।

4. आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

1. अंकेक्षण वर्ष 2023—24 में जून माह, 2023 में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2016 की पालना में 95 शहरी निकाय संस्थाओं के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के वर्ष 2021—22 का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य अंकेक्षण के साथ ही अधिकांश पूर्ण कर लिया गया है।
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 18 के क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) वर्ष 2021—22 तैयार कर दिनांक 28.02.2023 को राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परीक्षण हेतु समय—समय पर बैठकों का आयोजन भी किया गया है। इस समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016—17 के परीक्षण हेतु 02 एवं 2017—18 के परीक्षण हेतु 03 बैठकों का वर्ष 2022—23 में आयोजन किया गया।
3. विशेष जांच के 02 प्रतिवेदन जारी किये गये।
4. विभाग में ऑनलाईन अंकेक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऑडिट ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से 31.12.2023 तक वर्ष 2021—22 की कुल 33 जिला परिषदों में से 33 (100 प्रतिशत), कुल 352 पंचायत समितियों में से 350 (99.40 प्रतिशत) एवं कुल 11341 ग्राम पंचायतों में से 9932 (87.50 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन जारी किये जा चुके है।
5. विभाग में ऑनलाईन अंकेक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर कार्य आरंभ कर अंकेक्षण वर्ष 2023—24 में 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 5456 संस्थाओं का अंकेक्षण ऑनलाइन प्रारम्भ कर 2870 अंकेक्षण प्रतिवेदन ए.एम.एस. पर ऑनलाइन जारी कर दिये गये है।

5 सार—संक्षेप

अंकेक्षण वर्ष 2023—24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक की अवधि में संस्थाओं के बकाया लेखा वर्षों सहित 8961 लेखा वर्षों का अंकेक्षण कार्य एवं 95 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित किया गया। इसी समयावधि में 103055 सामान्य आक्षेप गठित किये एवं 37625 आक्षेप निस्तारित किये गये, जिसमें ग्राम पंचायतों के आक्षेप भी सम्मिलित है।

****___****